

प्रेस नोट

जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण हेतु श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश/निर्देश से चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक गंगापार महोदय व क्षेत्राधिकारी सोराव महोदय के नेतृत्व में दिनांक 30/07/2019 को पन्ना प्रयागराज मोर्चा मोर्चा पुलिस टीम द्वारा थाना हाजा पर पंजीकृत मु0अ0स0-713/19 धारा 302/201 भादवि का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त 1. मन्चू उर्फ संजय हरिजन उम्र 24 वर्ष पुत्र स्व0 अमृत लाल हरिजन निवासी ग्राम मोरहू थाना सोराव जनपद प्रयागराज 2. राधेश्याम हरिजन उम्र करीब 22 वर्ष पुत्र गोमचन्द्र हरिजन निवासी ग्राम मोरहू थाना सोराव जनपद प्रयागराज को दिनांक 30/07/2019 समय 17.30 P.M. पर मलाक हरहर तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया। एवं अभियोग उपरोक्त में तीसरे अपचारी अभियुक्त शुग्गु उर्फ सोनी हरिजन पुत्र गोमचन्द्र निवासी ग्राम मोरहू थाना सोराव जनपद प्रयागराज को दिनांक 31/07/2019 समय करीब 09.30 A.M. पर उसके घर से हिरासत पुलिस में लिया गया। मृतक संजय निवासी ग्राम मोरहू थाना सोराव जनपद प्रयागराज की हत्या अभियुक्त 1. मन्चू व अभियुक्त राधेश्याम हरिजन ने मिलकर किया है मन्चू ने पूछताछ पर बताया कि एक डेढ़ साल पहले मेरी संजय से लड़ाई हुई थी तो उसने धमकी दी कि जैसे मैंने तुम्हारे पिता को मारा था वैसे तुम्हें मार दूँगा। मेरे पिता की मृत्यु 7-8 वर्ष पहले तालाब में डूबने से हुई थी जिसे मैंने एक दुर्घटना समझ कर मुकदमा नहीं लिखा था। इसके धमकी देने पर पता चला कि इसी ने मेरे पिता को मारा था। उसकी बदला लेने के लिये हमदोनों लोग ने संजय यादव की मदद से कूचकर एवं गमछे से गला दबाकर हत्या कर दिया है। हमलोग अपने अपने घर चलने लगे तो राधेश्याम से मैंने कहा कि चलो कपडा उताकरकर कहीं छिपाकर रख दिया जाए जिसपर मृतक संजय यादव के खून के छीटे पड़े है या तो खून के छीटे वाले कपडा जला दिया जाए और दूसरा कपडा पहन लिया जाए मैंने अपना कपडा उतारकर लपेट कर घर में छिपाकर रख दिया और राधेश्याम हरिजन ने अपने भाई शुग्गु उर्फ सोनी हरिजन पुत्र गोमचन्द्र निवासी ग्राम मोरहू थाना सोराव जनपद प्रयागराज से अपना पहना हुआ कपडा लोवर व टी- शर्ट जलवा दिया पुलिस को मैंने अपना छिपाया हुआ कपडा जिसपर खून के छीटे पड़े है और राधेश्याम हरिजन ने अपने खून से छीटे पड़े हुए कपडों के जले हुए राख को बरामद कर दिया है। तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण:- दिनांक घटना 29/07/2019 समय रात्रि 23.00 बजे से दिनांक 30/7/2019 समय सुबह 6.30 a.m. के मध्य घटनास्थल कमलेश के खेत में महुँए के पेड़ के पास बहद ग्राम मोरहू बादी श्री राजू यादव पुत्र स्व0 अर्जुन प्रसाद निवासी ग्राम मोरहू थाना सोराव जनपद प्रयागराज की लिखित तहरीर बावत सागर हरिजन पुत्र पन्ना लाल 2. मन्चू पुत्र स्व0 खूटी 3. राधे हरिजन पुत्र साधो निवासी गण ग्राम मोरहू थाना सोराव जनपद प्रयागराज आदि लोगों ने मेरे बड़े भाई संजय उम्र लगभग 35 वर्ष की दिनांक 29/7/2019 की रात में ईट से कुचलकर गत्या कर देने के सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0स0-713/19 धारा 302 भादवि बनाम 1. सागर हरिजन पुत्र स्व0 पन्ना लाल 2. मन्चू पुत्र स्व0 खूटी 3. राधे हरिजन पुत्र साधो निवासी गण ग्राम मोरहू थाना सोराव जनपद प्रयागराज के विरुद्ध पंजीकृत होकर विवेचना मुझ प्रभारी निरीक्षक महोदय को प्राप्त की। अभियोग उपरोक्त में अबतक की गयी तमामी तफ्तीश, व अन्य साक्ष्य संकलन सुरागरशी पतारशी आदि से 1. मन्चू उर्फ संजय हरिजन उम्र 24 वर्ष पुत्र स्व0 अमृत लाल हरिजन निवासी ग्राम मोरहू थाना सोराव जनपद प्रयागराज 2. राधेश्याम हरिजन उम्र करीब 22 वर्ष पुत्र गोमचन्द्र हरिजन निवासी ग्राम मोरहू थाना सोराव जनपद प्रयागराज को दिनांक 30/07/2019 समय 17.30 P.M. पर मलाक हरहर तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया। एवं अभियोग उपरोक्त में तीसरे अपचारी अभियुक्त शुग्गु उर्फ सोनी हरिजन पुत्र गोमचन्द्र निवासी ग्राम मोरहू थाना सोराव जनपद प्रयागराज उम्र करीब 15 वर्ष को दिनांक 31/07/2019 समय करीब

09.30 A.M. पर उसके घर से हिरासत पुलिस मे लिया गया। अभियुक्त 1. मन्चू व अभियुक्त राधेश्याम हरिजन ने मिलकर किये मन्चू ने पूछताछ पर बताया कि एक डेढ़ साल पहले मेरी संजय से लड़ाई हुई थी तो उसने धमकी दी कि जैसे मैंने तुम्हारे पिता मारा था वैसे तुम्हें मार दूँगा। मेरे पिता की मृत्यु 7-8 वर्ष पहले तालाब में डूबने से हुई थी जिसे मैंने एक दुर्घटना समझ कर मुकदमा नहीं लिखाया था। इसकी धमकी देने पर पता चला कि इसी ने मेरे पिता को मारा था। उसकी बदला लेने के लिये हमदोनो लोग संजय यादव की ईंट से कूचलकर एंव गमछे से गला दबाकर हत्या कर दिया है। पूछताछ पर मन्चू व राधेश्याम ने कहा कि च कपडा उताकरकर कही छिपाकर रख दिया जाए जिसपर मृतक संजय यादव के खून के छीटे पडे है या तो खून के छीटे वाले कप जला दिया जाए और दूसरा कपडा पहन लिया जाए मैंने अपना कपडा उतारकर लपेट कर घर में छिपाकर रख दिया और राधेश्य हरिजन ने अपने भाई शुग्गु उर्फ सोनू हरिजन से अपना पहना हुआ कपडा लोवर व टी- शर्ट जलवा दिया पुलिस को मैंने आप छिपाया हुआ कपडा जिसपर खून के छीटे पडे है और राधेश्याम हरिजन ने अपने खून से छीटे पडे हुए कपडो के जला कर बरामद कर दिया है। तीनों अभियुक्तो को गिरफ्तार उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम-

1. मन्चू उर्फ संजय हरिजन उम्र 24 वर्ष पुत्र स्व० अमृत लाल हरिजन निवासी ग्राम मोरहू थाना सोराव जनपद प्रयागराज
2. राधेश्याम हरिजन उम्र करीब 22 वर्ष पुत्र गोमचन्द्र हरिजन निवासी ग्राम मोरहू थाना सोराव जनपद प्रयागराज
3. शुग्गु उर्फ सोनू हरिजन उम्र करीब 15 वर्ष पुत्र गोमचन्द्र निवासी ग्राम मोरहू थाना सोराव जनपद प्रयागराज (प्रकाश में आया अभियुक्त)

बरामदगी- 01 अदद आलाकत्ल ईंट मय खून सील सर्वमोहर मय नमूना मोहर मय अभियुक्तगणो का एक बन्डल खून लक कपडा व एक डिब्बे में जलाया गया कपडे का राख सील सर्वमोहर मय नमूना मोहर

पंजीकृत अभियोग का विवरण- मु०अ०सं०-713/19 धारा 302 भादवि बनाम

1. सागर हरिजन S/0 स्व० पन्ना लाल
2. मन्चू S/0 स्व० खट्टी 3. राधे हरिजन S/0 साधो निवासीगण ग्राम मोरहू थाना सोराव जनपद प्रयागराज
4. आदि लोग नाम पता अज्ञात

गिरफ्तारी टीम के सदस्य

1. श्री अरूण कुमार चतुर्वेदी प्रभारी निरीक्षक थाना सोराव प्रयागराज
2. व०३०नि० लौकेश प्रताप सिंह थाना सोराव
3. का० उपेन्द्र सिंह थाना सोराव
4. का०५०१ जय प्रकाश यादव थाना सोराव
5. रि०का० कौशल थाना सोराव
6. रि०का० मुकेश कुमार थाना सोराव

प्रभारी निरीक्षक
सोराव प्रयागराज

